



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1532]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2016/ज्येष्ठ 27, 1938

No. 1532]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2016/JYAISTHA 27, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2016

का.आ. 2145(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) वी धारा 5क के साथ पठित तेल उद्दोग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) वी धारा 15 वी उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 19 अप्रैल 2012 वी अधिसूचना का.आ. 869(अ) का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पहले वी गई वस्तुओं अथवा न वी गई वस्तुओं वो द्वोडकर केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा नीचे तालिका के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अन्तर्गत क्षेत्रों से कब्जे तेल उत्पादन पर उत्पाद शुल्क वो दिनांक 28.03.2016 वी अधिसूचना 1259(अ) के अनुसार परिकलित यथा मूल्य दर तथा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) में विहित 900 रु. प्रति मीट्रिक टन के मध्य अन्तर वी सीमा तक छूट प्रदान करती है।

तालिका

क्रम सं.	उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के तहत क्षेत्र के नाम
(1)	(2)
1.	पश्चिम और मुक्ता क्षेत्र
2.	राष्ट्रवा क्षेत्र
3.	खरसांग क्षेत्र
4.	मध्य और दक्षिण तारी क्षेत्र
5.	हजीरा क्षेत्र
6.	भादूंत क्षेत्र

7.	सावरमती क्षेत्र
8.	कैम्बे क्षेत्र
9.	इन्दरोरा क्षेत्र
10.	बकरोल क्षेत्र
11.	लोहर क्षेत्र
12.	डोलका क्षेत्र
13.	वावेल क्षेत्र
14.	बाओला क्षेत्र
15.	असजोल क्षेत्र
16.	पीवाई-1 क्षेत्र
17.	उत्तर बलोल क्षेत्र
18.	एलोरा क्षेत्र
19.	उनावा क्षेत्र
20.	डोलासन क्षेत्र
21.	कनवाडा क्षेत्र
22.	मोठेरा क्षेत्र
23.	आमगुडी क्षेत्र
24.	उत्तर कथाना क्षेत्र
25.	सांगननपुर क्षेत्र
26.	कारजीसन क्षेत्र
27.	ओंगंज

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2016 से लागू होगी।

[फा. सं. ओ-38011/3/2012/वित्त-II]

अमर नाथ, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2016

S.O. 2145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 15 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), read with Section 5A of Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of Government of India of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 869(E), dated 19th April, 2012, except as respect things done or omitted to be done before such hereby exemption, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, Contracts as mentioned in the column (2) of the table below to the extent of difference between the ad-valorem rate computed in accordance with the notification 1259(E) dated 28.03.2016 and Rupees Nine Hundred per metric tonne stipulated in the Production Sharing Contracts (PSCs).

TABLE

Serial No.	Name of the Field under Production Sharing Contract
(1)	(2)
1.	Panna & Mukta fields
2.	Ravva field
3.	Kharsang field

4.	Mid & South Tapti fields
5.	Hazira field
6.	Bhandut field
7.	Sabarmati field
8.	Cambay field
9.	Indrora field
10.	Bakrol field
11.	Lohar field
12.	Dholka field
13.	Wavel field
14.	Baola field
15.	Asjol field
16.	PY-1 field
17.	North Balol field
18.	Allora field
19.	Unawa field
20.	Dholasan field
21.	Kanwara field
22.	Modhera field
23.	Amguri field
24.	North Kathana field
25.	Sanganpur field
26.	Karjisan
27.	Ognaj

2. This notification shall come into force with effect from the 1st March, 2016

[F. No. O-38011/3/2012/Fin-II]

AMAR NATH, Jt. Secy.